केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश, राज्यांश राशि

33
21.12.18

3/यो0-26/2017(खंड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -...............................

विषय:- **मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में पेंशन योजनाओं के विभिन्न अवयवों हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश राशि रू० 3813.72 लाख (अडतीस करोड तेरह लाख बहतर हजार) एवं राज्य अंशदान (Topup) की राशि रू. 3575.86 लाख (रू. पैतीस करोड पचहतर लाख छियासी हजार) यानी कुल रू. 7389.58 लाख (रू. तिहतर करोड नवासी लाख अंठावन हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक सं0- 5725 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, मृत्यु अनुदान योजनाओं, विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं का संचालन, मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अधीन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत्यादेश संख्या 01 दिनांक 18.04.2018 द्वारा 284708.26 लाख रू (दो हजार आठ सौ सैतालीस करोड आठ लाख छब्बीस हजार रू0) की स्वीकृति दी गयी है। प्रथम अनुपूरक से विभागीय पत्रांक 25 दिनांक 24.08.2018 द्वारा 126043.72 लाख रू० (बारह सौ साठ करोड तैतालीस लाख बहतर हजार) की स्वीकृति दी गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में द्वितीय अनुपूरक से मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश राशि रू० 3813.72 लाख (अडतीस करोड तेरह लाख बहतर हजार) एवं राज्य अंशदान (Topup) की राशि रू. 3575.86 लाख (रू. पैतीस करोड पचहतर लाख छियासी हजार) **यानी कुल रू. 7389.58 लाख (रू. तिहतर करोड नवासी लाख अंठावन हजार) मात्र** अतिरिक्त प्रावधानित किया गया है, जिसके व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है :-

(राशि रू. लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	PFMS Code	स्वीकृति की राशि
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि					
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना	(51-2235031010202)	0202.1301, 3106	3169	3100.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना- विशेष घटक	(51-2235037890203)	0203.3106	3169	713.72
	योग:-1 (रू. अडतीस करोड तेरह लाख बहत्तर हजार)				3813.72
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का राज्य अंशदान					
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना	(51-2235031010302)	0302.3106	3169	3000.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना- विशेष घटक	(51-2235037890303)	0303.3106	3169	575.86
	योग:-2 (रू. पैतीस करोड पचहतर लाख छियासी हजार)				3575.86
	कुल (योग 1+2) :- (रू. तिहतर करोड नवासी लाख अंठावन हजार)				7389.58

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, पत्रांक 662/वि0 दिनांक 02.08.2018, पत्रांक 868/वि0 दिनांक 10.12.2018 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-26/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ट संख्या 14/टि0 पर दिनांक 19.12.2018 को माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-26/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ट संख्या 13/टि0 पर दिनांक 14.12.2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा इस राशि का व्यय उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
21/12

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0)।

ज्ञापांक-3/यो0-26/2017(खंड) 33 दिनांक- 21.12.18

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/12
संयुक्त निदेशक (मु0)।

ज्ञापांक- 3/यो0-26/2017(खंड) 33 दिनांक- 21.12.18

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/12
संयुक्त निदेशक (मु0)।

ज्ञापांक- 3/यो0-26/2017(खंड) 33 दिनांक- 21.12.18

प्रतिलिपि - विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि निर्गत स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

21/12
संयुक्त निदेशक (मु0)।